न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री करतार सिह पूनियां (आर ए एस)
अपील संख्या :– 55/2013
आर सी एम एस नं0 :–2013/00337

औम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ —अपीलांट

वनाम

1–भादर राम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ

3–अधिशाषी अभियंता जल संसाधान खण्ड सूरतगढ

4–ग्राम पंचायत भैरूसरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ —रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :– 1–श्री आशीष भीडासरा अभिभाषक–अपीलांट
2–श्री रविन्द्र भोमीया राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 19.6.23

1–अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 औमप्राकश व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत भैरूसरी मे शिविरं प्रभारी प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम भैरूसरी मे एक प्रार्थनापत्र बाबत रास्ता निकालवाने प्रस्तुत करके कथन किया कि चक 1 के डी एम मे माईनर स्वीकृत था जिसे सिंचाई विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है माईनर के स्थान पर 1 मुरब्बा लम्बाई मे रास्ता नही है उसी स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर शिविरि प्रभारी ने अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सूरतगढ से एवं तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट मांगी एवं शिविर मे ही अधिशाषी अभियंता व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर चक 2 के डी एम प0नं0 29/30 (1) किला नं0 21 ता 25 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2–अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या दो की तरफसे राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये अन्य रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील के उपस्थित नही आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड सलंग्न आया।

4–उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई अभिभाषकगण अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 1 के डी एम के प0नं0 29/58 (1) किला नं0 21 ता 25 मे रास्ता स्वीकृत किया गया व इसी प0 नं0 29/58 (1) किला नं0 23, 24, 25 मे 0.353 है0 अपीलांट की भूमि मे चिपते ही सिंचाई विभाग द्वारा किला नम्बर 21 ता 25 मे पक्का खाला बना रखा है व रास्ते हेतु कोई जगह खाली

Scanned with OKEN Scanner

नही है इसलिये अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाये। दफा 5 मियादर अधिनियम पर बहस मे कथन किया कि अपीलांट ने निर्णय दिनांक 11–1–2013 के विरूद्ध अपील दिनांक 15–4–2013 को पेश की है अपीलांट विचारण न्यायालय मे पक्षकार नही था अपीलाधीन आदेश का इलम सर्व प्रथम दिनांक 22–3–2013 को नकल प्राप्त करके अपील प्रस्तुत कर दी जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद है अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी माफ की जाये। गुणावगुण की बहस मे अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियान मे शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत रास्ता स्वीकृत किया है परन्तु रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व नतो मौका निरीक्षण किया गया है व ना ही प्रभावित पक्षकार को सुना गया है केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर रास्ता स्वीकृत कर दिया है जबकि रास्ता स्वीकृति के लिये गिरदावर या तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करने का आज्ञात्मक प्रावधान है। आदेश मे यह भी अंकन नही किया है कि रास्ता की किसी को आवश्यकता है। श्रीमान न्यायालय द्वारा पत्र कमाक 498 दिनांक 16–4–18 को तहसीलदार रावतसर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो पत्र कमांक 95 दिनांक 26–4–98 को भेजी गई है जिसमे भी चक 1 के डी एम प0नं0 29/58 (1) किला नं0 22 व 25 मे 0.228 है0 कमाण्ड गैरमुमकिन व नहर दर्ज है व मौका पर पक्का खाला बना हुआ है वर्तमान मे कोइ रासता चालू नही है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11–1–2013 निरस्त किया जाये। अपीलांट ने अपील बहस के समर्थन मे डी एन जे 2021 III पृष्ठ आरएचसी आरबीटी 2018 पृष्ठ 42 व 592 व आरआरटी 2022 I पृष्ठ 493 एवं आरआरडी 2016 पृष्ठ 699, आर आर टी 2017 के पृष्ठ 342, आरआरटी 2021 II पृष्ठ 1286 प्रस्तुत करके अपील स्वीकार करने का कथन किया।

4–राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत बताते हुए बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा जल संसाधन विभाग की भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांट को यह साबित करना होगा कि उनके हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे है राजस्व अभियान मे अधिशाषी अथ्भयंता ने अपनी भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने मे सहमति दी थी इसलियें धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अपीलांट ने निर्णय दिनाक 11–1–2013 के विरूद्ध अपील दिनांक 15–4–2013 को तीन माह बाद प्रस्तुत की है प्रार्थना पत्र मे देरी का कोई कारण अंकित नही किया है इसलिये अपील मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है। गुणावगुण पर बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा जल संसाधन विभाग की भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया गया है अधिशाषी अभियंता द्वारा शिविर मे मौके पर कोई माईनर न होने के कारण रास्ता स्वीकृत करने मे अपनी सहमति दी है। शिविर प्रभारीएवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी व तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट मंगवाई है जिसमे जन साधारण के लिये रास्ता स्वीकृत करने बाबत रिपोर्ट दी है। उक्त प्रकरण मे अपीलांट की भूमि मे कोई रास्ता स्वीकृत नही किया गया था इसलिये उसे सुनने का अवसर दिया जाना जरूरी नही था अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाये।

Scanned with OKEN Scanner

5–उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया न्यायिक दृष्टांतो को सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 1 के डी एम प0नं0 29/58 के किला नं0 21 ता 25 की 0.113 है0 भूमि मे पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया है व अपीलांट की चक 1 के डी एम प0नं0 29/58 (1) किला नं0 23/2 मे 0.038, 24/1 मे 0.151, 25/1 मे 0.164 कुल .353 है0 भूमि है परन्तु अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई है इसलिये अपीलांट बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 11–1–2013 के विरूद्व अपील दिनांक 15–4–2013 को प्रस्तुत की है व देरी माफ करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अथवा प्रतिउत्तर मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है व अपीलांट विचारण न्यायालय मे पक्षकार भी नही था व जानकारी से अपील प्रस्तुत की है इसलिये न्यायहित मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1व 4 ने नहर की जगह रास्ता स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अधिशाषी अथ्भयंता जल संसाधन खण्ड सूरतगढ व पटवारी हल्का भैरूसरी द्वारा की गई रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करके धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकृत किया है। धारा 261 ए आरटीए के तहत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व गिरदावर हल्का या तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करने के प्रावधान आज्ञात्मक है. जिनकी पालना अधिनस्थ न्यायालय ने नही की है अपील मे आदेश दिनांक 3–5–2013 के द्वारा तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट मंगवाई गई है जो दिनांक 26–4–2018 को भेजी गई है मुताबिक रिपोर्ट गैरमुमकिन नहर की 0.228 है0 भूमि की जगह पक्का खाला बना होना व मौका पर रास्ता चालू न होने की रिपोर्ट की है। विचारण न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्ता की आवश्यकता आदि के सम्बध मे भी कोई जांच नही की है मौका निरीक्षण भी नही किया है इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार योग्य बनती है व अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य बनता है।

6–उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–1–2013 स्वीकार किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को प्रकरण मे पक्षकार बना कर सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार मौका की जांच करके एवं रास्ता की आवश्यकता को देखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना मे रास्ता चालू हो तो उसे बंद न करे व रास्ता बंद करने पर तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जाये। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

7–निर्णय आज दिनांक 15.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/6/23

(करतार सिह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner